

न्यायालय नायब तहसीलदार हरसाणी, जिला बाइमेर

प्रार्थी  
राजस्थान सरकार जारिये  
पटवारी हल्का गिराब

बनाम

विप्रार्थी  
देवीशंठ, हठेशिंह पिता राणेशिंह

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 116/2024

--:निर्णय:--


पत्रावली आज बमुकाम हरसाणी में पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित। पटवारी हल्का गिराब उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी ने ग्राम गंगापुरा के खसरा नम्बर 988 क्षेत्रफल कमशः 28.9754 हैक्टेयर किस्म गै.मु.मगरा में 04.00 हैक्टेयर व ग्राम गंगापुरा के खसरा नम्बर 953 क्षेत्रफल कमशः 47.5910 हैक्टेयर किस्म गै.मु. धोरा में 02.00 हैक्टेयर पर तारबन्दी कर कब्जा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का गिराब की रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जारिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः विप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। उक्त अतिक्रमित राजकीय भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही विप्रार्थी पर राशि 50 अक्षरे पचास रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल किया जावे।

निरीक्षक (भू.अ.) गिराब को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अतिक्रमित राजकीय भूमि पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलाम कर निलामी फर्द वारंते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 दिवस में पेश करे।

पटवारी हल्का गिराब को आदेशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त राजकीय भूमि में से भौतिक रूप से वेदखल कर राजकीय भूमि को कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पालना पेश करें। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।



  
नायब तहसीलदार हरसाणी  
उप तहसीलदार हरसाणी